न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23/2021

प्रविष्टि दिनांक 25.02.2021

शिवराज पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी रोहित तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 27.01.2021 मिसल नम्बर 1451/2021

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 30.11.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 27.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1306,1307 व 1437 रकबा 3.52 है0किस्म बारानी–2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 630/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर मोजूद साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया गया है। [illegible] की किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। विवादित आराजीयात [illegible] संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष वाद बाबत उद्घोषणा,दुरूस्ती [illegible] एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 47/2009 अपीलांट के पिता द्वारा पेश [illegible] का निर्णय दिनांक 21.09.2010 को न्यायालय द्वारा करते हुये वादी की [illegible]दित आराजी खसरा [illegible] 1306 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर

टोंक

1307 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया था,उक्त निर्णय की अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2022 को निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा का निर्णय व डिग्री दिनांक 21.09.2010 को यथावत रखा है। अपीलांट अपने पिता के जीवनकाल से विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1306,1307 व 1437 रकबा 3.52 है0किस्म बारानी–2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1306,1307 व 1437 रकबा 3.52 है0 किस्म बारानी–2 वाके ग्राम रोहित तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1627/2020 निर्णय दिनांक 16.03.2020 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.10.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1437 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम रोहित से कोई संबंध अथवा सरोकार नही है,उक्त आराजीयात पर मेरो कोई कच्चा–पक्का निर्माण भी नही है,उक्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नही है और ना ही मै भविष्य मे कोई अतिक्रमण करने की भावना रखूंगा।

विवादित आराजीयात के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 21.09.2010 को वादी को [illegible] खसरा नम्बर 1306 व 1307 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया गया था,उक्त निर्णय की अपील न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहा प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा दिनांक 13.07.2022 को निर्णय पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा का निर्णय व डिग्री दिनांक 21.09.2010 को यथावत रखा है,परन्तु आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

खसरा नम्बर 1306 व 1307 वाके ग्राम रोहित आज दिनांक को भी सिवायचक ही दर्ज है। अपीलांट ने नवीन जमाबंदी भी प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो कि उक्त आराजी अपीलांट के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 27.01.2021 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:41 IST
Reason: SelfAttested